अधिसूचना सं0 14/2014-सीमाशुल्क नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014.

सा.का.नि. (अ) -- केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2011-सीमाशुल्क, तारीख 6 जनवरी,, 2011 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं. 6(अ), तारीख 6 जनवरी,, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,--

(क) आरंभिक पैरा में किसी "सौर-ऊर्जा उत्पादन परियोजना या सुविधा की आरंभिक स्थापना के लिए" शब्दों के स्थान पर, "सौर-विद्युत उत्पादन या सौर-ऊर्जा उत्पादन की आरंभिक स्थापना के लिए" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) शर्त (1) में "सौर-ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन" शब्दों के स्थान पर "सौर-विद्युत उत्पादन या सौर-ऊर्जा उत्पादन" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा.सं0 334/15/2014-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. सा.का.नि. 6(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशित की गई थी ।